स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः ~~20~~ 23/ 12/ 2019

File No. Press Clipping/11/2019/CG/RU-III

सेवा में,

1. सचिव,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार,
ग्राउंड फ्लोर, 'डी' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली – 110001

2. सचिव,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय,
नई दिल्ली, 110001

3. सचिव,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली

4. जिला कलेक्टर,
जिला – बलरामपुर,
छत्तीसगढ़ – 497119

5. जिला वनमंडलाधिकारी,
जिला – बलरामपुर,
(छत्तीसगढ़)

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
महानदी भवन, नया रायपुर,
अटल नगर, छत्तीसगढ़ – 492002

7. सचिव,
वन विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
महानदी भवन, नया रायपुर,
अटल नगर, छत्तीसगढ़ – 492002

विषयः हाथियों से जंग लड़ रहा इंसान, 200 से अधिक मौतों के बाद सरकार ने लिया ये फैसला– न्यूजवेबसाइट "न्यूज 18 छत्तीसगढ़" में प्रकाशित समाचार के संबंध में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 16.10.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 16.10.2019 का 04.00 बजे डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर.के.दुबे)
सहायक निदेशक

<u>प्रतिलिपि पेषित सूचनार्थः</u>

1. श्री परशुराम भगत, ग्राम – परसापानी, पोस्ट – सेवारी, थाना व तहसील – राजपुर, जिला बलरामपुर,छत्तीसगढ़
2. श्री रामेश्वर यादव, ग्राम – पेण्डारी, पोस्ट व थाना राजपुर, जिला बलरामपुर,छत्तीसगढ़
3. श्री महेशवर उरांव(सरपंच), ग्राम – चदार,, पोस्ट व थाना–राजपुर, जिला बलरामपुर,छत्तीसगढ़
4. श्री महेशवर मार, ग्राम –सेवारी , पोस्ट व थाना – राजपुर, जिला बलरामपुर,छत्तीसगढ़
5. श्री शेलेवेस्तर, ग्राम – माकड़, पोस्ट व थाना – राजपुर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़
6. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
7. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Press clipping/11/2019/CG/RU-III)

न्यूज वेबसाइट 'न्यूज18 छत्तीसगढ़' में 'हाथियों से जंग लड़ रहा इंसान, 200 से अधिक मौतों के बाद सरकार ने लिया ये फैसला' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2019 को अपराह्न 04.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 16.10.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. न्यूज वेबसाइट 'न्यूज18 छत्तीसगढ़' में 'हाथियों से जंग लड़ रहा इंसान, 200 से अधिक मौतों के बाद सरकार ने लिया ये फैसला' शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 16.10.2019 को 04.00 बजे बैठक निर्धारित की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 09.10.2019 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार)., सचिव, गृह मंत्रालय (भारत सरकार)., सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत सरकार)., सचिव, वन विभाग (छत्तीसगढ़ शासन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छत्तीसगढ़), जिला कलेक्टर (बलरामपुर, छत्तीसगढ़), जिला वनमंडलाधिकारी (बलरामपुर, छत्तीसगढ़) को बैठक का नोटिस जारी किया गया।
2. प्रकरण में दिनांक 16.10.2019 को 04.00 को आयोग मुख्यालय में आहूत बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय से संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय से उप सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से महानिदेशक सह विशेष सचिव (वन) और आईजी (वन) तथा जिला वनमंडलाधिकारी (बलरामपुर, छत्तीसगढ़) उपस्थित हुए।
3. महानिदेशक (वन) पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में पहले हाथी नहीं पाए जाते थे लेकिन पड़ोस के अन्य राज्यों में खनन आदि गतिविधियों के कारण वहां से हाथी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। जिस हाथी के कारण उक्त घटना हुई है वह खतरनाक किस्म का है। उसको रेडियो कॉलर भी लगाया गया है। राज्य के प्रधान वन प्रमुख को हाथी को पकड़ने और रेस्क्यू करने और जरूरत पड़ने पर मारने

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

तक की छूट दी गई है। प्रधान वन प्रमुख को इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त अधिकार है। मंत्रालय में हाथियों की समस्या से निपटने के लिए विभाग बनाया गया है, खतरनाक हाथियों से निपटने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को फंड दिया गया है और इसके लिए रेस्क्यू सेंटर भी बनाए गए हैं।

4. जिला वनमंडलाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ का वन अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है इसलिए अन्य राज्यों के हाथी भी यहां आ जाते हैं। वनों में लोगों का आना-जाना भी अधिक है जिसके कारण इस तरह टकराव की घटना घटित होती है। इस टकराव को रोकने के लिए कुछ हाथियों को रेडियो कॉलर लगाया गया है जिसके द्वारा उनकी लोकेशन का पता लगाया जाता है। वन रक्षकों के द्वारा इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी जाती है। धान की खेती के समय हाथी अपने भोजन की तलाश में खेतों और गांवों में आ जाते हैं जिससे टकराव की स्थिति हो रही है। इसको रोकने के लिए लगातार खतरनाक हाथियों को चिह्नित कर उन पर निगरानी रखी जाती है। इसके लिए वाईल्ड लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून एवं वाईल्ड लाईफ एस ओ एस बेंगलुरु से एम.ओ.यू. किया गया है। रेडियो प्रसारण के द्वारा भी लोगों को हाथियों के गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।
5. आयोग द्वारा पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत मुआवजे की जानकारी मांगी गई।
6. जिला वनमंडलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 27.09.2019 को रात 12 बजे के आस-पास ग्राम सेवारी में 14 हाथियों का दल पहुंच गया। ग्रामीण श्री अमोल तिर्की निवासी सेवारी (सरनापारा) के घर में एक हाथी घुस गया, इस घटना में श्रीमती सरोज तिर्की (32 वर्ष) और उनके पुत्र विवेक (4-5 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। मृतकों के परिजनों को अंत्येष्टि के लिए तत्काल 25,000-25,000 रुपये दिए गये। इसके बाद दिनांक 14.10.2019 को शेष 5,75,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। मृतक को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने और घायलों को 59 हजार रुपये तक का इलाज कराने एवं साथ ही इससे अधिक का इलाज होने की स्थिति में बिल जमा करने पर विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है और 5,000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का अलग से शासन द्वारा बीमा कराया जाता है। फसल नष्ट होने पर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा राशि दिया जाता है। जनजातीय समुदाय गांव में एक साथ घर नहीं बनाते हैं जिसके कारण गांव में हाथी के आने की सूचना अन्य लोगों को नहीं मिल पाती है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. महानिदेशक (वन) ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जल्द ही इस संबंध में गाइडलाईन (SOP) जारी की जाएगी।

8. आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुशंसा की गई-
   - आम लोगों को हाथियों के हमलों से बचाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए, इसके लिए वन विभाग द्वारा पहले से पूरी तैयारी होनी चाहिए। खतरनाक किस्म के जानवरों को पकड़ने तथा लोगों की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
   - छत्तीसगढ़ में आयोग की दिनांक 08.11.2019 को राज्यस्तरीय प्रस्तावित समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग शामिल रहेंगे। इस बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के हाथी से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि सार्थक चर्चा की जा सके।
   - छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जल्द इस विषय की गाइडलाईन (SOP) जारी किया जाना चाहिए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 15 दिनों के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

18.11.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Press clipping/11/2019/CG/RU-III)

न्यूज वेबसाइट 'न्यूज18 छत्तीसगढ़' में 'हाथियों से जंग लड़ रहा इंसान, 200 से अधिक मौतों के बाद सरकार ने लिया ये फैसला' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2019 को अपराह्न 04.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.) डॉ. नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष महोदय

(2.) श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य

(3.) श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, माननीय सदस्य

(4.) श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव

(5.) डॉ. ललित लट्टा, निदेशक

(6.) श्री आर. के. दुबे, स. निदेशक

(7.) श्री विकास शर्मा, कानूनी सलाहकार

(8.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक

- **जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार**

(1.) श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव

- **गृह मंत्रालय, भारत सरकार**

(1.) श्री पवन मेहता, उप सचिव

- **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार**

(1.) श्री सिद्धांत दास, डीजी (वन) व वि. सचिव

(2.) नोएल थोमस, आईजी (वन)

- **वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन**

(1.) श्री प्रणय मिश्रा, डीएफओ